प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स .....60/22..... दिनांक .....24/2/22.....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7, 7 ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120 बी भा.द.स.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....519..... समय .....4:20 Pm.....
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 22–2–2022 समय 9.52 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21–2–2022 समय 4.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक– लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी– बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 500 किलोमीटर
(2) पता– कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर ।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री अभिषेक रावल
(2) पिता का नाम : दिनेश कुमार रावल
(3) आयु : 28 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स वागड गोट मीट एण्ड पॉल्ट्री फार्म पादरडी डूंगरपुर
(7) पता : शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1) डॉ. उपेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री रामसिंह उम्र 59 वर्ष निवासी गांव पोस्ट जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल डी 15, छत्रसाल नगर, नंदपुरी नियर मालवीय नगर जयपुर हाल उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर।
2) डॉ. जावेद खान पुत्र श्री ईस्माईल खान उम्र 47 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट बागणी तहसील वालवा जिला सांगली महाराष्ट्र हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पीपलादा जिला डूंगरपुर।
3) श्री अनिल भगोरा पुत्र स्व. श्री लालशंकर उम्र 53 वर्ष निवासी गांव बरोठी पुलिस थाना व तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 1,60,000/– रूपये, आरोपीगणों के द्वारा परिवादी से 1,60,000 रूपये रिश्वत मांगकर ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1,60,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

विषय–आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी अभिषेक रावल पिता दिनेश कुमार रावल निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर हाल मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स वागड गोट मीट एण्ड पॉल्ट्री फार्म पादरडी डूंगरपुर का इस प्रकार है कि हमारी फर्म की पशुपालन विभाग डूंगरपुर (संयुक्त निदेशक) के आदेश कमांक 669 दिनांक 11–2–2022 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 + 1) पशुपालन विभाग की सप्लाई करने का आदेश हुआ है। जिस पर प्रति यूनिट 52000 (इंश्योरेंस व ट्रांसपोर्ट के अलावा) रेट तय हुआ। हमारी फर्म ने 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई कर दी है। जिसका पेमेंट 10,77,000 (दस लाख सत्तहर हजार रूपये) फर्म के अकाउंट में विभाग द्वारा जमा किया गया है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. जावेद खान सिनियर वेटेनरी ऑफिसर, डूंगरपुर ने मेरे से पूरी 59 यूनिट गोट सप्लाई पर प्रत्येक 20 यूनिट के सप्लाई के बाद 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रूपये) रिश्वत की मांग कर रहा है व कह रहा है कि यह ठेका तुमको मैंने दिलाया है। इसलिए रिश्वत की मांग करते हुए आज मेरे से उक्त राशि 1,60,000 रूपये रिश्वत मांग रहा है व कह रहा है कि रिश्वत नहीं दी तो आगे से बची हुई 39 यूनिट गोट सप्लाई नहीं होने दूंगा व ठेका केन्सल करा दूंगा। मैं डॉ. जावेद खान को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें।''

एसडी
लक्ष्मण मीणा

एसडी
लोकेश टांक

प्रार्थी
–एसडी–
अभिषेक रावल

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 21–2–2022 को समय 4.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अभिषेक रावल निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर से परिचय करवाया जाकर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक परिवादी एवं परिवादी के द्वारा लिखित रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 को लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में पहुंच परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा अपनी स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मुझ प्रार्थी अभिषेक रावल पिता दिनेश कुमार रावल निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर हाल मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स वागड गोट मीट एण्ड पॉल्ट्री फार्म पादरडी डूंगरपुर का इस प्रकार है कि हमारी फर्म की पशुपालन विभाग डूंगरपुर (संयुक्त निदेशक) के आदेश कमांक 669 दिनांक 11–2–2022 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 + 1) पशुपालन विभाग की सप्लाई करने का आदेश हुआ है। जिस पर प्रति यूनिट 52000 (इंश्योरेंस व ट्रांसपोर्ट के अलावा) रेट तय हुआ। हमारी फर्म ने 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई कर दी है। जिसका पेमेंट 10,77,000 (दस लाख सत्तहर हजार रूपये) फर्म के अकाउंट में विभाग द्वारा जमा किया गया है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. जावेद खान सिनियर वेटेनरी ऑफिसर, डूंगरपुर ने मेरे से पूरी 59 यूनिट गोट सप्लाई पर प्रत्येक 20 यूनिट के सप्लाई के बाद 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रूपये) रिश्वत की मांग कर रहा है व कह रहा है कि यह ठेका तुमको मैंने दिलाया है। इसलिए रिश्वत की मांग करते हुए आज मेरे से उक्त राशि 1,60,000 रूपये रिश्वत मांग रहा है व कह रहा है कि रिश्वत नहीं दी तो आगे से बची हुई 39 यूनिट गोट सप्लाई नहीं होने दूंगा व ठेका केन्सल करा दूंगा। मैं डॉ. जावेद खान को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में परिवादी ने मजीद

पूछताछ में बताया कि मेरी फर्म को संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर के आदेश कमांक 669 दिनांक 11–2–2022 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 बकरी व 1 बकरा) पशुपालन विभाग को सप्लाई करने का आदेश हुआ। जिस पर प्रति यूनिट 52,000 (इंश्योरेंस व ट्रांसपोर्ट के अलावा) रेट तय हुआ। मेरी फर्म ने अब तक 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई कर दी है। जिसका पेमेंट 10,77,000 (दस लाख सत्तहर हजार रूपये) फर्म के अकाउंट में पशुपालन विभाग डूंगरपुर द्वारा जमा करवाया गया है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. जावेद खान सिनियर वेटेनरी ऑफिसर, डूंगरपुर ने मेरे से पूरी 59 यूनिट गोट सप्लाई पर प्रत्येक 20 यूनिट के सप्लाई के बाद 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रूपये) रिश्वत की मांग कर रहा है व कह रहा है कि यह ठेका तुमको मैंने दिलाया है। इसलिए तुमको मुझे प्रत्येक यूनिट के 8000 रूपये के हिसाब से 20 यूनिट का 1,60,000 रूपये कमीशन के देने होंगे। अगर मुझे कमीशन नहीं दिया तो शेष बची हुई 39 यूनिट गोट सप्लाई नहीं होने दूंगा व ठेका केन्सल करा दूंगा। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि डॉ. जावेद खान उक्त रिश्वत राशि डॉ उपेन्द्र सिंह महलावत, संयुक्त निदेशक के लिए ले रहा है इसमें डॉ जावेद खान का भी हिस्सा है। जिस पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन के बारे में बताया गया एवं ब्यूरो के कनिष्ठ सहायक श्री लक्ष्मणसिंह का परिवादी से आपस में परिचय कराया। उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु श्री सुरेश कानि को जरिये तेहरीर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर भेजा गया। तत्पश्चात समय 5.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अभिषेक रावल के साथ श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी के निजी वाहन से संदिग्ध डॉ जावेद खान से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिए मुनासिब हिदायत देकर डूंगरपुर रवाना किया गया। समय 5.10 पी.एम. श्री सुरेश कानि मय स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश टांक, खनि कार्यदेशक प्रथम एवं श्री लक्ष्मण मीणा वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर के उपस्थित कार्यालय हुए। स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश टांक एवं श्री लक्ष्मण मीणा से परिचय किया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गयी कि ब्यूरो कार्यालय द्वारा जब भी तलब किया जाए उपस्थित कार्यालय होंवे। समय 10.05 पी.एम. पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक ने जरिये मोबाइल मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी की संदिग्ध से रिश्वत मांग के संबंध में बातचीत हो गयी है उक्त बातचीत को परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर श्री लक्ष्मण सिंह ने परिवादी से भी वार्ता करायी तो परिवादी ने बताया कि डॉ. जावेद ने रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 22–2–2022 को बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी को हिदायत दी गयी कि संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर साथ लेकर ब्यूरो उपस्थित आवें। जिसके पश्चात दिनांक 22–2–2022 को समय 12.15 ए.एम. रवानाशुदा परिवादी श्री अभिषेक रावल एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी के निजी वाहन से बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री लक्ष्मणसिंह ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुए बताया कि हम दोनो यहां से रवाना होकर डॉ. जावेद के मकान स्थित ब्रह्मास्थली कॉलोनी, डूंगरपुर के पास पहुंचकर मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को दिया। जिस पर समय 9.10 पीएम पर परिवादी रवाना होकर संदिग्ध के मकान पर गया। मैं मकान के आसपास ही खडे होकर परिवादी का इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटा बाद परिवादी मेरे पास आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे दिया जिसे बंद कर सुरक्षित मेरे पास रखा। तत्पश्चात श्री लक्ष्मणसिंह एवं परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक से जरिये मोबाइल वार्ता की। जिससे पूर्व में बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय में आपके समक्ष उपस्थित आये है। इसके उपरांत परिवादी ने भी श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की एवं परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मुताबिक हिदायत रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर साथ लाया। तत्पश्चात डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आईन्दा गवाह के उपस्थित आने पर उनके समक्ष मूर्तिब की जाएगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया।

परिवादी ने बताया कि आरोपी सुबह करीब 10 बजे फील्ड में निकल जाता है अतः उससे पूर्व ही कार्यवाही करना ठीक रहेगा। जिस पर गवाहान को सुबह जल्दी उपस्थिति हेतु पाबंद किया गया। अतः परिवादी को रात्रि का समय होने से विश्राम हेतु कार्यालय कक्ष में ठहराया गया। समय 5.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मण मीणा, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एवं श्री लोकेश टांक, खनि कार्यदेशक प्रथम, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर तलबिदा उपस्थित आये। जिनका परिचय परिवादी श्री अभिषेक रावल से आपस में कराया। तत्पश्चात दोनो गवाहान से उक्त गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गयी तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताया। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 21–2–22 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर वार्ता परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाई गयी। मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्ध डॉ जावेद के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने की पुष्टि दोनो गवाहान ने भी की। समय 7.00 ए एम. पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अभिषेक रावल से संदिग्ध डॉ. जावेद को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री अभिषेक रावल ने अपने पास से 2000–2000 रूपये को 80 नोट कुल राशि 1,60,000 रूपये (एक लाख साठ हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

1	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3HL 894093
2	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5BH 272364
3	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2BA 253137
4	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7BN 727879
5	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7KB 402129
6	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7BF 567510
7	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2FA 639487
8	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8FD 561882
9	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2DF 618217
10	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3AG 751517
11	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0AA 805416
12	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6DB 631815
13	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0FP 294671
14	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0MS 789447
15	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1DE 707615
16	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8MR 937305
17	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6KK 859271
18	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3CN 679759
19	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3FQ 606881
20	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5GD 395792
21	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6LE 159164
22	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9AA 791557
23	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6HK 093625
24	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6FA 984597
25	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8AW 855160
26	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0HU 961688
27	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8CG 927740
28	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1MM 362493

29	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8DN 127689
30	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6AD 500555
31	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6AQ 259153
32	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0CL 394422
33	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1KH 244636
34	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3CH 397456
35	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2KC 054565
36	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7DA 345951
37	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8FE 670322
38	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3AU 167628
39	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4FW 014449
40	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0BS 262569
41	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3GA 231302
42	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9CL 648596
43	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2CL 986433
44	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8DS 236860
45	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8EE 142994
46	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5EW 950714
47	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0EF 371428
48	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9HV 716244
49	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9BR 687390
50	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0CD 755443
51	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8AH 827225
52	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2EV 481520
53	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5DF 070764
54	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3AA 570311
55	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3ML 213254
56	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4LQ 915771
57	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4FN 409674
58	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2BL 903954
59	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7CU 394070
60	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7DC 459431
61	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8KA 913806
62	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8KC 529687
63	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5BB 143238
64	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9CC 841367
65	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7ET 164101
66	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5DW 246829
67	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7HU 504969
68	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3AT 547204
69	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6MR 652727
70	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9KQ 285812
71	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2EK 717677
72	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7AM 302230
73	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7DA 106895
74	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0CL 444117
75	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3CF 662337
76	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7EF 498297
77	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5GC 543676

78	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9FU 675224
79	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7EB 878268
80	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5ES 514348

परिवादी श्री अभिषेक रावल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अबखार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री अभिषेक रावल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री अशोक कुमार कानि से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में गजाराम वरिष्ठ सहायक की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई। परिवादी के द्वारा आरोपी को रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने मोबाइल से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाइल पर मिस कॉल करने का गोपनीय निर्धारित ईशारा बताया। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी को मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर दिये गये। श्री अशोक कुमार कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री अभिषेक रावल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई । समय 7.55 एएम पर परिवादी श्री अभिषेक रावल के साथ श्री लालसिंह हैड कानि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के निजी वाहन से एवं श्री अशोक कुमार कानि, श्री सुरेश कानि मय सरकारी वाहन के डूंगरपुर के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश टांक, श्री लक्ष्मण मीणा एवं हैड कानि श्री मुनीर मोहम्मद, श्री मांगीलाल कानि, श्री टीकाराम कानि. मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि संसाधन के प्राइवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना डूंगरपुर होकर समय 9.40 ए.एम. पर ब्रह्माकुमारी आश्रम, ब्रह्मास्थली कॉलोनी डूंगरपुर पहुंच सुरक्षित स्थान पर सभी अपने–अपने वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को डॉ. जावेद खान के निवास स्थान रवाना किया गया। सभी डॉ. जावेद खान के निवास के आसपास ही अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। समय 9.52 ए.एम. पर परिवादी ने उसके मोबाइल फोन से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाइल नम्बर पर मिस कॉल कर रिश्वत राशि लेने का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण तेज–तेज कदमों से चलकर डॉ जावेद खान के निवास के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को साथ लेकर डॉ. जावेद के मकान में प्रवेश कर बैठक कक्ष में ही सोफे पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही डॉ. जावेद खान है, जिन्होंने मुझसे अभी– अभी 1,60,000 रूपये रिश्वती राशि मांगकर ग्रहण की है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए अपने मंतव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. जावेद खान पुत्र श्री ईस्माईल

खान उम्र 47 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट बागणी तहसील वालवा जिला सांगली महाराष्ट्र हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पीपलादा जिला डूंगरपुर होना बताया। साथ ही डॉ जावेद खान ने यह भी बताया कि मुझे डूंगरपुर में नोडल ऑफिसर के रूप में भी कार्यभार दिया गया है। साथ ही जिले का वरिष्ठतम चिकित्सक होने के कारण कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर के कार्य में भी सहयोग करता हूँ। डॉ जावेद खान से परिवादी से रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की, जिसके संबंध में पूछा गया तो डॉ. जावेद ने रिश्वत राशि के बारे पहले तो मना किया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। उक्त रिश्वत राशि पशुपालन विभाग के ही संयुक्त निदेशक डॉ. उपेन्द्र सिंह के कहने पर ही उनको देने के लिए ली है। जिस पर परिवादी ने आरोपी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि डॉ. जावेद साहब झूठ बोल रहे है, उक्त रिश्वत राशि डॉ जावेद ने डॉ उपेन्द्र सिंह महलावत, संयुक्त निदेशक के लिए ली है इस रिश्वत राशि में इनका भी हिस्सा है। परिवादी ने यह भी बताया कि अभी मेरी तथा डॉ जावेद के मध्य आमने सामने वक्त लेनदेन रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हुई जिसे मैंने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर डॉ. जावेद कुछ नहीं बोलकर चुप हो गया। तत्पश्चात डॉ. जावेद के हाथों में रखी रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मण मीणा से लिवाया जाकर गिनवायी तो 2000–2000 रूपये के 80 नोट होकर कुल राशि 1,60,000 होना पाया। जिसका मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो हुबहू हुए। उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान ने स्वीकार किया। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मण मीणा के पास सुरक्षित रखवायी गयी। आरोपी डॉ. जावेद खान के द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रक्रियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया, जिसमे से दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया।एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी डॉ. जावेद खान के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंगगुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच. –2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी डॉ. जावेद खान के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने हाथ धुलाई मन् पुलिस उप अधीक्षक को आरोपी डॉ. जावेद खान ने स्वतः ही बताया कि उक्त राशि मैंने डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत संयुक्त निदेशक के लिए ही ली है आप चाहो तो मैं फोन पर बात करके उक्त रिश्वत राशि डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत को आपके साथ चलकर दे सकता हूँ। जिस पर आरोपी डॉ जावेद खान ने अपने कथनों में बताया कि उक्त राशि डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत के लिए ली है। इसकी सत्यता जानने हेतु डॉ जावेद के मोबाइल नम्बर 9928411137 से डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत संयुक्त निदेशक के मोबाइल नम्बर 9413130494 पर समय 10.03 एएम पर स्पीकर ऑन कर वार्ता करायी गयी तो डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत ने रिश्वती राशि की स्वीकारोक्ति की। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 10.11 एएम पर डॉ जावेद के मोबाइल नम्बर 9928411137 से डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत संयुक्त निदेशक के मोबाइल नम्बर 9413130494 पर स्पीकर ऑन कर पुनः वार्ता करायी गयी तो आरोपी डॉ. उपेन्द्र सिंह ने डॉ जावेद को अर्पिता (डॉ उपेन्द्र की पुत्री) के नंबर पर गुगल पे करने के लिए कहा लेकिन उसके बाद ही रिश्वती राशि 1,60,000 लेकर कार्यालय पशुपालन विभाग डूंगरपुर में ही बुलाया। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डॉ उपेन्द्र सिंह महलावत के द्वारा रिश्वत राशि मोबाइल मांग सत्यापन वार्ता में 1,60,000 रूपये रिश्वत की मांग करने पर परिवादी को रिश्वती राशि 1,60,000 रूपये की और व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो

परिवादी ने असमर्थता जाहिर की। जिस पर उक्त बरामदशुदा राशि को ही आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह महलावत को देने हेतु स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मण मीणा के पास रखी राशि का फर्द पेशकशी से मिलान किया गया तो हुबहू होना पाया गया। जिसे उपस्थितिन ने भी स्वीकार किया। उक्त रिश्वत राशि पर पूर्व में लगाये गये फिनोफ्थेलीन पाउडर के अंश विद्यमान होने से उक्त राशि 1,60,000 रूपये को डॉ जावेद खान की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर गवाह व ब्यूरो जाप्ते के भी हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। आरोपी डॉ जावेद खान के निवास स्थान की खानातलाशी ली जाना वांछित है एवं समयाभाव की वजह से आरोपी डॉ जावेद खान के निवास पर ताला लगवाया जाकर परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर देकर डॉ जावेद खान को परिवादी के निजी वाहन में बैठाते हुए ब्यूरो का जाप्ता श्री टीकाराम व श्री सुरेश कानि को भी मुनासिब हिदायत के रवाना पशुपालन विभाग डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान परिवादी के निजी वाहन के पीछे पीछे समय 10.15 एएम पर रवाना हो कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, डूगरपुर के बाहर पहुंच आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह महलावत को रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये देने हेतु डॉ जावेद खान के साथ परिवादी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रवाना किया गया। जिसके पीछे पीछे श्री सुरेश कानि, श्री टीकराम कानि को आरोपी पर निगरानी रखने की मुनासिब हिदायत दे रवाना किया। जिसके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता भी कार्यालय पशुपालन विभाग डूंगरपुर के परिसर के आसपास ही अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडे रहे। परिवादी ने समय 10.31 एएम पर उसके मोबाइल नम्बर से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाइल पर मिस कॉल कर रिश्वत राशि लेने का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण तेज–तेज कदमों से चलकर संयुक्त निदेशक के कार्यालय कक्ष के बाहर आरोपी डॉ जावेद खान एवं परिवादी के पास पहुंचे। जहां परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी व आरोपी डॉ जावेद खान को साथ लेकर डॉ. उपेन्द्र सिंह महलावत के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। जहां पर एक व्यक्ति कार्यालय कक्ष की मुख्य कुर्सी पर बैठा हुआ मिला एवं टेबल के सामने वाली कुर्सी पर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ मिला। मुख्य कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया ये ही उपेन्द्र सिंह महलावत, संयुक्त निदेशक है। जिनके कहने पर ही डॉ. जावेद खान ने मेरे से रिश्वत की मांग कर आज दिनांक 22–2–2022 को रिश्वत राशि ग्रहण की एवं डॉ. जावेद ने मेरे सामने ही इनके द्वारा किये गये ईशारे के अनुसार इनके सामने बैठे व्यक्ति श्री अनिल भगोरा, पशुधन सहायक को रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये दिये। तत्पश्चात मैं व आरोपी डॉ. जावेद खान दोनो कार्यालय कक्ष से बाहर आये व मेरे द्वारा आपको पूर्व निर्धारित ईशारा मिस कॉल कर किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए अपने आने के मंतव्य से अवगत कराते हुए मुख्य कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. उपेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री रामसिंह उम्र 59 वर्ष निवासी गांव पोस्ट जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल डी 15, छत्रसाल नगर, नंदपुरी नियर मालवीय नगर जयपुर हाल उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर होना बताया। तत्पश्चात सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अनिल भगोरा पुत्र स्व. श्री लालशंकर उम्र 53 वर्ष निवासी गांव बरोठी पुलिस थाना व तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा श्री अनिल भगोरा से रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये किस बात के लिये है, के बारे में पूछा गया तो श्री अनिल भगोरा ने बताया कि उपेन्द्र सिंह जी, संयुक्त निदेशक के बताये अनुसार लिये है। रिश्वत राशि के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उपेन्द्र सिंह जी के कहने पर मैंने डॉ. जावेद खान से रिश्वत राशि लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में रखी। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा डॉ. उपेन्द्र सिंह से पूछा गया कि आपने डॉ जावेद खान से रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये अनिल भगोरा को किस कार्य के बदले में दिलवायी गयी तो डॉ. उपेन्द्र सिंह ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी है और न ही रिश्वत राशि अनिल भगोरा

को दिलवायी है। जिस पर परिवादी श्री अभिषेक रावल ने कहा कि डॉ. उपेन्द्र सिंह झूठ बोल रहे है। मेरी फर्म मैसर्स वागड गोट एण्ड पोल्ट्री फार्म पादरडी जिला डूंगरपुर को संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर के आदेश कमांक 669 दिनांक 11–2–2022 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 बकरी व 1 बकरा) पशुपालन विभाग को सप्लाई करने का आदेश हुआ। जिस पर प्रति यूनिट 52,000 (इंश्योरेंस व ट्रांसपोर्ट के अलावा) रेट तय हुआ। मेरी फर्म ने अब तक 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई कर दी है। जिसका पेमेंट 10,77,000 (दस लाख सत्तहर हजार रूपये) फर्म के अकाउंट में पशुपालन विभाग डूंगरपुर द्वारा जमा करवाया गया है। डॉ. जावेद खान ने मेरे से पूरी 59 यूनिट गोट सप्लाई पर प्रत्येक 20 यूनिट के सप्लाई के बाद 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रूपये) रिश्वत की मांग की और मांग सत्यापन के दौरान ही डॉ. जावेद खान ने बताया कि उक्त रिश्वत राशि मैं मेरे अकेले के लिए नहीं लेकर संयुक्त निदेशक डॉ. उपेन्द्र सिंह के लिए ले रहा हूँ, जिसमें मेरा भी हिस्सा है और डॉ. जावेद खान ने मुझे कहा था कि तुमको मुझे प्रत्येक यूनिट के 8000 रूपये के हिसाब से 20 यूनिट का 1,60,000 रूपये कमीशन के देने होंगे। अगर मुझे कमीशन नहीं दिया तो शेष बची हुई 39 यूनिट गोट सप्लाई नहीं होने दूंगा व ठेका केन्सल करा दूंगा। जिस पर आरोपी डॉ. जावेद खान से भी उपस्थितिन के समक्ष ही उक्त तथ्यों के संबंध में पूछा गया तो डॉ जावेद खान ने बताया कि डॉ. उपेन्द्र सिंह के कहने पर ही मैंने अभिषेक रावल से रिश्वत राशि की मांग की एवं मांग अनुसार उक्त रिश्वत राशि आज प्राप्त कर डॉ. उपेन्द्र सिंह के बताये अनुसार श्री अनिल भगोरा को दी। जिस पर डॉ. उपेन्द्र सिंह संयुक्त निदेशक कुछ नहीं बोलकर चुप रहे। आरोपी श्री अनिल भगोरा के द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रकियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया एवं कार्यालय पशुपालन विभाग डूंगरपुर से दो साफ कांच के गिलास मंगवाये जाकर कार्यालय में प्रयुक्त साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री अनिल भगोरा के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–3 व आर.एच.–4 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री अनिल भगोरा के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–3 व एल.एच.–4 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक की पूछताछ से एवं रिश्वत राशि बरामद की जानी है इस हेतु श्री अनिल भगोरा से रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो अनिल भगोरा ने रिश्वत राशि कार्यालय के लेखा शाखा में रखी लोहे की अलमारी में रखना बताया। जिसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय आरोपीगण डॉ. उपेन्द्र सिंह, डॉ. जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा, दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ते के कक्ष के पास ही स्थित लेखा शाखा कक्ष में पहुंचे। आरोपी श्री अनिल भगोरा ने कक्ष में रखे टेबल के पास कोने में रखी लोहे की अलमारी खुलवायी जाकर अनिल भगोरा की निशादेही से स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश टांक ने अलमारी की अंदर की रेक पर रखे जेके ईजी कॉपीयर (फोटोकॉपी रिम का कवर) जो कि फोल्ड होकर उसके अंदर रखे 2000–2000 के नोट पेश किये। जिन नोटों को स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये तो 2000–2000 के कुल 80 नोट होकर कुल 1,60,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटों का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से किया गया तो मिलान हुबहू पाया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो पर सफेद कागज में सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल जेके ईजी कॉपीयर (फोटोकॉपी रिम का कवर) का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में से एक साफ कांच का गिलास मंगवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें

एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त जेके ईजी कॉपीयर पर रूई के फोहे को घुमाया जाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क सी–1 व सी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त जेके ईजी कॉपीयर (फोटोकॉपी रिम का कवर) पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त परिवादी की फर्म को जारी किये गये कार्यादेश एवं भुगतान से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रतियां पेश करने हेतु कहने पर डॉ. शांतनु शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी ने परिवादी से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रतियां पेश की। जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपीगण के पदस्थापन से संबंधित आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्राप्त की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 21–2–22 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी थी। मूल एवं डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता एवं आरोपीगणों के मय प्राइवेट वाहन के रवाना होकर आरोपी डॉ. जावेद खान के ब्रह्मास्थली कॉलोनी, डूंगरपुर स्थित निवास स्थान पर पहुंच नक्शा मौका घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका तैयार किया जाने के उपरांत आरोपी डॉ जावेद खान के निवास स्थान की खानातलाशी ली गयी। तत्पश्चात आरोपी डॉ. उपेन्द्र सिंह के निवास स्थान आदर्श नगर, डूंगरपुर की खानातलाशी ली गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता एवं आरोपीगणों के मय प्राइवेट वाहन के कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर पर पहुंच रिश्वत राशि घटनास्थल एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22–2–22 को डॉ जावेद खान के निवास स्थान ब्रह्मास्थली कॉलोनी, डूंगरपुर पर डॉ जावेद खान एवं परिवादी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने से टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। इसी प्रकार दिनांक 22–2–22 को समय 10.03 एएम पर आरोपी डॉ जावेद खान एवं आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह के मध्य रिश्वत राशि के संबंध में मोबाइल पर हुई वार्ता, जिसे स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। तत्पश्चात दिनांक 22–2–22 को समय 10.11 एएम पर आरोपी डॉ जावेद खान एवं आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह के मध्य रिश्वत राशि के संबंध में मोबाइल पर हुई वार्ता, जिसे स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। दिनांक 22–2–22 को रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान आरोपी डॉ. जावेद खान, डॉ उपेन्द्र सिंह, आरोपी श्री अनिल भगोरा एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ता, जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां बनायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। इसके उपरान्त ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड को भी पृथक से मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक कपडे की थेली मे

रख सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपीगण डॉ उपेन्द्र सिंह एवं डॉ जावेद खान को अपनी–अपनी आवाज का नमूना देने हेतु क्रमशः पत्र क्रमांक एसपीएल–1, एसपीएल–2 दिनांक 22–2–22 दिये गये। आरोपीगणों के द्वारा अपने अपने उक्त मूल पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया गया। आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक के मोबाइल फोन से डॉ जावेद खान के मोबाइल फोन पर रिश्वत राशि के मांग एवं लेनदेन के संबंध में दिनांक 22–2–22 को वार्ता हुई। इस हेतु आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह का मोबाइल फोन वजह सबूत जरिये फर्द जप्त किया गया। आरोपी डॉ जावेद खान के मोबाइल फोन से आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक के मोबाइल फोन से रिश्वत राशि के मांग एवं लेनदेन के संबंध में दिनांक 22–2–22 को वार्ता हुई। इस हेतु आरोपी डॉ जावेद खान का मोबाइल फोन वजह सबूत जरिये फर्द जप्त किया गया। आरोपीगणों डॉ. उपेन्द्र सिंह, डॉ जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. के तहत प्रमाणित होना पाया जाने पर आरोपीगणों को पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर परिवादी श्री अभिषेक रावल को बाद कार्यवाही मौके से ही रूखसत करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपीगण डॉ उपेन्द्र सिंह, डॉ. जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा, ब्यूरो जाप्ता एवं जप्तशुदा मालखाना आर्टीकल, सिलचिटशुदा रिश्वत राशि मय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकार्डर सहित प्राईवेट/सरकारी वाहन के डूंगरपुर से रवाना होकर पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर पहुंच आरोपीगण डॉ उपेन्द्र सिंह, डॉ. जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा को सुरक्षित हवालात में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर पहुंचे। जप्तशुदा आर्टीकल्स एवं रिश्वत राशि, सीडीयों को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय से रुखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 23–2–22 को पुलिस थाना भूपालपुरा पहुंच आरोपीगण डॉ उपेन्द्र सिंह, डॉ. जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा को पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर से प्राप्त किया जाकर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भूपालपुरा उदयपुर पहुंच आरोपीगण का मेडिकल एवं कोविड–19 परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात समय 3.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण डॉ उपेन्द्र सिंह, डॉ. जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा का 15 योम जे. सी. रिमाण्ड स्वीकृत कराने हेतु माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर पेश करने पर माननीय न्यायालय से उक्त आरोपीगणों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश प्रदान किया। जिस पर माननीय न्यायालय से जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर डॉ उपेन्द्र सिंह, डॉ. जावेद खान एवं श्री अनिल भगोरा को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी की फर्म मैसर्स वागड गोट एण्ड पोल्ट्री फार्म, पादरडी, डूंगरपुर को कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर के आदेश कमांक 669 दिनांक 11–2–22 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 बकरी व 1 बकरा) पशुपालन विभाग को सप्लाई करने का कार्यादेश हुआ। परिवादी की फर्म ने 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई करने पर उसका भुगतान 10,77,340 फर्म के खाते में पशुपालन विभाग डूंगरपुर द्वारा दिनांक 21–2–22 को जमा करवाये। दिनांक 21–2–22 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी डॉ जावेद खान ने परिवादी को पशुपालन विभाग को सप्लाई किये गये 20 यूनिट के 8000 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से 1,60,000 रूपये रिश्वत राशि अपने स्वयं एवं डॉ. उपेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक के लिए लेने की मांग करते हुए प्रत्येक 20 यूनिट के 1,60,000 रूपये कमीशन रिश्वत राशि के रूप में शेष 39 यूनिट गोट का ऑर्डर निरस्त करने करवाने एवं सप्लाई नहीं करने देने का भय दिखाया। जिस पर दिनांक 22–2–22 को रिश्वत लेनदेन के दौरान डॉ जावेद खान ने अपने निवास पर रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये अपने स्वयं तथा अपने उच्चाधिकारी डॉ उपेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक के लिए मांगकर ग्रहण करने पर ब्यूरो द्वारा डॉ जावेद खान से रिश्वत राशि जो कि परिवादी से मांगकर ग्रहण की गयी, जिसके संबंध में पूछताछ की तो डॉ जावेद खान ने उक्त रिश्वत राशि डॉ. उपेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक के कहने पर ही लेना बताया। जिस पर डॉ. जावेद खान के मोबाइल फोन से डॉ. उपेन्द्र सिंह के

मोबाइल पर वार्ता करायी तो आरोपी डॉ. उपेन्द्र सिंह ने डॉ जावेद को अर्पिता (डॉ उपेन्द्र की पुत्री) के नंबर पर गुगल पे करने के लिए कहा लेकिन उसके बाद ही रिश्वती राशि 1,60,000 लेकर कार्यालय पशुपालन विभाग डूंगरपुर में ही बुलाने पर डॉ जावेद को उक्त रिश्वत राशि 160,000 रूपये देकर परिवादी के साथ कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर भेजा। जिस पर डॉ जावेद खान मय परिवादी कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर पर जाकर डॉ उपेन्द्र सिंह से मिले। आरोपी डॉ. जावेद खान ने उक्त रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह को देना चाही तो आरोपी डॉ उपेन्द्र सिंह ने कार्यालय कक्ष में सामने बैठे आरोपी श्री अनिल भगोरा को देने हेतु ईशारा किया। जिस पर आरोपी श्री अनिल भगोरा, पशुधन सहायक ने डॉ. उपेन्द्र सिंह के ईशारे अनुसार रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये ग्रहण कर अपने कार्यालय के लेखाशाखा में रखी लोहे की अलमारी की रेक में जेके ईजी कॉपीयर (फोटोकॉपी रिम के कवर) में रखी जहां से रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये बरामद होने पर तीनो आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार आरोपीगण डॉ. उपेन्द्र सिंह हाल उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर डॉ. जावेद खान हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पीपलादा जिला डूंगरपुर एवं श्री अनिल भगोरा हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर तीनो लोकसेवक होते हुए भी अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से आपस में मिलीभगत कर डॉ. उपेन्द्र सिंह ने डॉ. जावेद खान के मार्फत परिवादी से रिश्वत राशि 1,60,000 रूपये की मांग करवाते हुए दिनांक 22–2–22 को डॉ जावेद खान के द्वारा परिवादी से मांग अनुसार 1,60,000 रूपये रिश्वत स्वरूप ग्रहण किये एवं उसी रिश्वती राशि को डॉ उपेन्द्र सिंह ने डॉ जावेद खान को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त रिश्वती राशि को कार्यालय के ही पशुधन सहायक श्री अनिल भगोरा को दिलवायी, जो प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7, 7 ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. के तहत प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण डॉ. उपेन्द्र सिंह हाल उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर, डॉ. जावेद खान हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पीपलादा जिला डूंगरपुर एवं श्री अनिल भगोरा हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्र.नि. ब्यूरो, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जाशी, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.डॉ0 उपेन्द्र सिंह, उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अति0 चार्ज संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जिला डूंगरपुर, 2.डॉ0 जावेद खान, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पीपलादा, जिला डूंगरपुर एवं 3.श्री अनिल भगोरा, पशुधन सहायक, कार्यालय पशुपालन विभाग, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 60/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 550-54 दिनांक 24.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

24.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।